प्रदूषण [illegible] एए !
तार – पर्यावरण
Gram : Paryavaran

पर्यावरण बचाइए !!
दूरभाष एवं फैक्स : ०५५१-२२७३९३७
Phone & Fax : 0551-2273937

संलग्नक -16

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या
Ref. No. 202/एन0 ओ0सी0-03/2016/2

दिनांक
Dated 27-5-16

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन),
देवरिया

विषयः **श्रीमती विश्वभारती जायसवाल, पत्नी–श्री रमेश जायसवाल, निवासिनी बरहज रोड, जनपद–देवरिया द्वारा मेसर्स एस्सार (ESSAR) आयल लि0 का रिटेल आउटलेट पट्रोल पम्प, ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तप्पा–सुरौली, परगना–सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद–देवरिया के आराजी सं0–547मि. पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति सम्बन्धी निरीक्षण आख्या का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 148/शस्त्र–2016, दिनांक 22.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से डिवीजनल मैनेजर, एस्सार (**ESSAR**) आयल लि0, 3 फ्लोर, अरिहन्त काम्पलेक्स, सिगरा, वाराणसी के पत्रांक सं0 ई0ओ0एल0/एनजेड/यू0पी0–ई0–1869, दिनांक 18.03.2016 द्वारा रिटेल आऊटलेट, ग्राम–अहिलवार बुजुर्ग, तप्पा–सुरौली, परगना–सलेमपुर मझौली, तहसील व जनपद–देवरिया के आराजी सं0–547मि. पर पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु चाही गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में इस कार्यालय से अनापत्ति आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संदर्भ में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के अधिकारियों से दिनांक 19.05.2016 को कराया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते समय निम्नलिखित शर्तो को आरोपित करते हुए अनापत्ति निर्गत किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं हैः–

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना इस प्रकार से किया जाये, जिससे कि आस–पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पेट्रोल पम्प के निकट आबादी विकसित न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू–भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पर्दाथ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निशमन विभाग के गाईड लाईन के अनुसार स्थापित किया जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट की व्यवस्था स्थापित की जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण न किया जाये।
7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

.....2/–

petrol pump inspection deoria

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, देवरिया रोड, कूड़ाघाट, गोरखपुर–273 008
MAHADEO JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, KUNRAGHAT, GORAKHPUR-273 008
E-mail : rogorakhpur@uppcb.com

8. पेट्रोल पम्प द्वारा हैजार्डस वेस्ट (मैनेजमेन्ट, हैन्डिलिंग एण्ड ट्रान्स बाउन्ड्री मूवमेन्टस) रूल्स, 2008(यथासंशोधित) तथा मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एण्ड इम्पोर्ट आफ हैजार्डस केमिकल रूल्स, 1989 एवं पब्लिक लाइबिलिटी इन्श्योरेन्स एक्ट, 1991 में वर्णित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा अधिकतम 20 किलोलीटर पेट्रोल (एम.एस.) एवं 40 किलोलीटर डीजल ऑयल(एच.एस.डी.) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
10. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
11. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
12. वायु प्रदूषण का कोई श्रोत प्रस्तावित स्थल पर स्थापित न किया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू–प्रयोग सक्षम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से आन साइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित कराकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. प्रास्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जाये।
16. पेट्रोल पम्प पर वाहनो के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि राज्य मार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

भवदीय

26/5/16

(एस0बी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।